न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 06 / 2022

1 पन्नालाल पुत्र स्व. मालाराम जाति बलाई निवासी ग्राम गाड़ौदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 घीसा पुत्र बालु जाति नायक
2 शिवलाल पुत्र स्व. मालाराम
3 नन्दलाल पुत्र स्व. मालाराम
4 गीता पुत्री स्व. मालाराम
5 मेना पुत्री स्व. मालाराम
6 नरेश पुत्र खागाराम
7 गोपाल पुत्र खागाराम
8 जितु पुत्र खागाराम
9 विमला पुत्री खागाराम
10 बाली देवी पत्नी खागाराम (नाम हजफ)
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील संख्या 69 / 2018
आवेदन अ. आदेश 09 नियम 09 जा.दी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नोपतराम चावला, अधिवक्ता अपीलांट

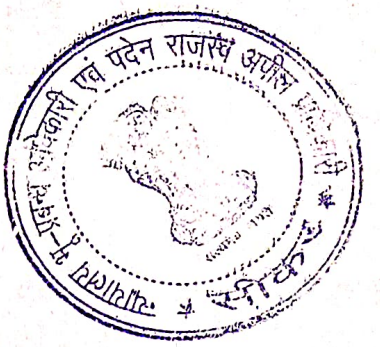

—निर्णय—

दिनांकः— 25/11/25

यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 69/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 74/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा अपील संख्या 69/2018 प्रस्तुत की गई थी। विचाराधीन निर्णय से यह अपील अदम हाजरी में खारिज की गई है। इसके विरूद्ध वाजदायरी आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रश्नगत अपील व संलग्न आवेदन स्थगन आदेश तथा कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आवेदन में अपीलार्थी के गंभीर साम्पतिक विधिक अधिकारी निहित है। अपीलार्थी अपने इस प्रकरण में पैरवी हेतु पूर्णतया अपने अधिवक्ता पर निर्भर रहा है। अपील में नियत दिनांक 03.02.2021 को इस न्यायालय में पुकार के समय अपीलार्थी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय प्रकरणों में पैरवी में व्यस्तता के कारण तत्समय इस न्यायालय में मजबूरीवश कुछ मिनट बाद ही उपस्थित हो सके और तब तक अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त किये जाने का आदेश पारित हो गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गयी। उक्त अपील में विधिक कार्यवाही की जानकारी करने में अपीलार्थी लॉकडाउन व कोरोना महामारी के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने में असमर्थ रहा। जानकारी से अंदर मियाद तत्काल वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में लंबित अपील दिनांक 03.02.2021 को अदम हाजरी में खारिज किये जाने के पश्चात यह वाजदायरी आवेदन दिनांक 22.04.2022 को लगभग 14 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्ता प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है।

वाजदायरी के लिए विधि में एक माह का समय निर्धारित है। प्रस्तुत आवेदन एक साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण आवेदनकर्ता द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है।

आवेदनकर्ता द्वारा यह आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 के प्रावधान वाद पर लागु होते है, अपील पर लागु नहीं होते है। इस संदर्भ में सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 में स्पष्ट अंकन है कि "**Decree against plaintiff by default bars fresh suit- (1) Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit.**"

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों की रोशनी में आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाजदायरी मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर